कार्यालय नगर पालिक निगम, (बाजार/नजूल) रायपुर (छ.ग.)
फोन.न.:- 2535780, 90, फैक्स :- 0771-2227395
Website - www.nagarnigamraipur.nic.in

क्र. ..../ बा.वि./न.नि./ 2017 रायपुर, दिनांक ....../01/2017

// निविदा/ऑफर आमंत्रण सूचना //

हाट बाजार समृद्धि का आधार योजनान्तर्गत **क्रिस्टल आर्केट** के सामने पंड़री **निर्मित 17** एवं **मोहबा बाजार** नया सब्जी मार्केट में निर्मित **14** दुकान **कुल–31** दुकानों को **30** वर्ष के स्थायी पट्टे पर आबंटन हेतु दो लिफाफा पद्धति से निर्धारित प्रपत्र में स्पीड पोस्ट के माध्यम से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। धरोहर राशि का डी.डी. जो राष्ट्रीयकृत बैंक से आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर के नाम से प्रथम लिफाफा में डी.डी. एवं द्वितीय लिफाफा में, निविदादर प्रस्तुत करना होगा। निविदा दिनांक **24.01.2017** को शाम **5.30 बजे** तक बाजार विभाग को प्राप्त हो जाना चाहिए। प्राप्त निविदाओं को **दिनांक 25.01.2017** को **3.00 बजे** बाजार विभाग नगर निगम रायपुर में खोली जावेगी।

//प्रथम निविदा/ऑफर क्रिस्टल आर्केट के सामने पंडरी की दुकान //

क्र.	आरक्षण वर्ग	दुकान कमांक	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	आफसेट दर	धरोहर राशि
1	अनारक्षित	01	15.15	823015	82301
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	02	12.12	658380	65838
3	अनारक्षित	03	15.66	850723	85072
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	04	15.66	850723	85072
5	अनारक्षित	05	7.44	404164	40416
6	अनुजाति/अनुसूचित जनजाति	06	7.44	404164	40416
7	अन्य पिछड़ा वर्ग	07	7.44	404164	40416
8	विधवा/परित्यक्ता महिला	08	7.44	404164	40416
9	शिक्षित बेरोजगार	09	7.44	404164	40416
10	अनारक्षित	10	7.44	404164	40416
11	अनारक्षित	11	7.44	404164	40416
12	अनारक्षित	12	7.44	404164	40416

13	अनुजाति/अनुसूचित जनजाति	13	7.44	404164	40416
14	महिला	14	7.44	404164	40416
15	विकलांग/भू.पू.सै./स्वा.सं.सै. /तृतीय लिंग	15	16.16	877876	87787
16	अनुजाति/अनुसूचित जनजाति	16	12.36	671453	67145
17	अनारक्षित	17	12.88	699717	69971

//चतुर्थ निविदा/ऑफर मोहबा बाजार स्थित दुकान //

क.	आरक्षण वर्ग	दुकान कमांक	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	आफसेट दर	धरोहर राशि
1	विधवा/परित्यक्ता महिला	01	5.20X3.50	1553217	155321
2	अनारक्षित	02	--"--	1412016	141201
3	अनारक्षित	03	--"--	1412016	141201
4	विकलांग/भू.पू.सै./स्वा.सं.सै.	04	--"--	1553217	155321
5	शिक्षित बेरोजगार	05	--"--	1553217	155321
6	अनारक्षित	06	--"--	1412016	141201
7	महिला	07	--"--	1412016	141201
8	अनुजाति/अनुसूचित जनजाति	08	--"--	1412016	141201
9	अन्य पिछड़ा वर्ग	09	--"--	1412016	141201
10	अनारक्षित	10	--"--	1553217	155321
11	अन्य पिछड़ा वर्ग	11	--"--	1553217	155321
12	अनुजाति/अनुसूचित जनजाति	12	--"--	1412016	141201
13	अनारक्षित	13	--"--	1412016	141201
14	अनारक्षित	14	--"--	1553217	155321

// निविदा आवेदन पत्र का प्रारूप //

हाट बाजार समृद्धि का आधार योजनान्तर्गत पंडरी क्रिस्टल आर्केट के सामने एवं मोहबा बाजार में निर्मित दुकानों के आबंटन हेतु

प्रति,

निविदादाता का फोटो (स्वयं द्वारा प्रमाणित)

आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)

(निविदादाता द्वारा स्वयं भरा जाए)

1. निविदादाता का नाम :— ....
2. पिता/पति का नाम :— ....
3. जन्म तिथि :— ....
4. पत्र व्यवहार का पता :— ....
....
5. दूरभाष तथा मोबाइल नं. :— ....
6. ई—मेल पता (E- mail ID) :— ....
7. स्थायी निवास का पता :— ....
....
....
8. आवेदन के साथ धरोहर राशि जमा करने का विवरण

राशि (अंकों में) रूपये ....
(शब्दों में) रूपये ....
बैंक का नाम ....
बैंक ड्रॉफ्ट का नंबर ....दिनांक ....

9. निविदादाता द्वारा चयनित दुकान एवं प्रस्तावित मूल्य निम्नानुसार है :—

दुकान नं.	दुकान का आरक्षण वर्ग	निविदादाता द्वारा प्रस्तावित मूल्य	निविदादाता के हस्ताक्षर
		(अंकों) में रू. .... (शब्दों में) रू.	

—:: <u>अभिवचन</u> ::—

मैं हाट बाजार समृद्धि का आधार योजनान्तर्गत मोहबा बाजार में दुकानों का आबंटन में उपरोक्त दुकान निविदा में अंकित मूल्य पर 30 वर्ष के स्थायी पट्‌टे पर लेने के लिए सहमत हूं। इस हेतु मैंने निविदा की समस्त शर्तो को पढ़कर समझ लिया है। निविदा की समस्त नियम एवं शर्ते मुझे मान्य है। मैंने कंड़िका (09) में कुल प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया है।

स्थान :—

दिनांक :— **(निविदादाता का हस्ताक्षर)**

विशेष :— **आवेदन फार्म नगर निगम से जारी नहीं किये जायेंगे, समाचार पत्र एवं वेबसाईट में प्रकाशित प्रारूप में ही निविदाकर्ता आवेदन करेंगे।**

1. प्रत्येक दुकान के लिए अलग—अलग निविदा आवेदन पत्र धरोहर राशि के साथ जमा करना होगा। जिस नाम से निविदा आवेदन किया जावेगा उस नाम से ही निविदा स्वीकार की जावेगी।
2. आरक्षित वर्ग को आरक्षण से संबंधित प्रमाणित दस्तावेज अनिवार्यतः निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा निविदा स्वयमेव निरस्त मानी जायेगी।
3. निविदा की समस्त शर्ते एवं नियम कार्यालयीन अवधि में बाजार विभाग मुख्य कार्यालय एवं नगर पालिक निगम रायपुर की वेब साईड **WWW. nagarnigamraipur. nic.in** से देखी जा सकती है।

उपायुक्त (बाजार)
नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम, (बाजार/नजूल) रायपुर (छ.ग.)
फोन.न.:- 2535780, 90, फैक्स :- 0771-2227395
Website - www.nagarnigamraipur.nic.in

// हाट बाजार समृद्धि का आधार योजना नियम एवं शर्ते //

विशेष :– आवेदन फार्म नगर निगम से जारी नहीं किये जायेंगे दैनिक समाचार पत्र एवं वेबसाईट में प्रकाशित प्रारूप में ही निविदाकर्ता आवेदन करेंगे।

1. हाट बाजार समृद्धि का आधार योजनान्तर्गत **मोहबा बाजार** के नगर निगम द्वारा निर्मित कुल–**14** दुकानों एवं **किस्टल आर्केट** के सामने पंडरी में **निर्मित** 17 दुकान **कुल**–**31** दुकानों को **30** वर्ष के स्थायी पट्टे पर आबंटन हेतु न्यूनतम निर्धारित मूल्य से अधिक राशि का प्रस्ताव मुहरबंद निविदा के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है।
2. निविदा आवेदन पत्र, नियम एवं शर्ते बाजार विभाग मुख्य कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय **10.30 बजे से** 5.30 बजे तक अवलोकन किया जा सकता है। एवं नगर निगम का वेब साईड **WWW. nagarnigamraipur. nic.in** से देखी जा सकती है। निर्धारित प्रारूप में संपूर्ण रूप से भरे हुए निविदा आवेदन पत्र धरोहर राशि के साथ स्पीड पोस्ट के माध्यम से आबंटन हेतु दो लिफाफा पद्धति से निर्धारित प्रपत्र में स्पीड पोस्ट के माध्यम से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। **दिनांक 23.01.2017 के** कार्यालयीन समय तक **डाक घर में** जमा किया जा सकता है। निविदाएं दिनांक **25.01.2017 को दोपहर 12.00** बजे मुख्य कार्यालय बाजार विभाग नगर निगम रायपुर में सक्षम अधिकारी के समक्ष खोली जावेंगी।
3. प्रत्येक दुकान के लिए अलग–अलग निविदा आवेदन पत्र धरोहर राशि के साथ जमा करना होगा। जिस नाम से निविदा जमा किया जावेगा उस नाम से ही निविदा स्वीकार की जावेगी।
4. निविदा के लिए निर्धारित की गई धरोहर राशि आयुक्त, नगर निगम, रायपुर के नाम पर देय डिमांड ड्रॉफ्ट द्वारा ही स्वीकार किया जाएगा। बिना धरोहर रााशि के निविदा स्वयंमेव निरस्त मानी जाएगी।
5. मुहरबंद निविदाएं आयुक्त नगर पालिक निगम बाजार विभाग मुख्य कार्यालय रायपुर (छ.ग.) के नाम से देय होगी।
6. कोई भी निविदा आवेदन पत्र जिसमें निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम राशि का प्रस्ताव होगा स्वीकार नहीं होगा। ऐसी निविदा स्वयंमेव निरस्त मानी जाएगी।
7. आरक्षित वर्ग को आरक्षण से संबंधित प्रमाणित दस्तावेज अनिवार्यतः निविदा लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा अन्यथा निविदा स्वयमेव निरस्त मानी जायेगी।
8. केवल ऐसे व्यक्तियों को ही निविदा में भाग लेने की पात्रता होगी जो :–
   (अ) भारतीय नागरिक हों
   (ब) फर्म या कंपनी की ओर से प्रस्ताव करने पर फर्म या कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र, भागीदार विलेख तथा अधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
   (स) मानसिक रूप से दीवालिया, विक्षिप्त या पागल न हों।
   (द) नाबालिग न हो।
9. निविदादाता को उसकी निविदा स्वीकृत होने की सूचना प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि में समस्त देय राशि जमा कर स्वयं के व्यय से आबंटित दुकान के पट्टे का निष्पादन एवं पंजीयन कराना होगा।

10. निविदादाता को नगर निगम कार्यालय में दुकान के पट्टा पंजीयन की फोटोप्रति प्रस्तुत किये जाने के बाद ही दुकान का आधिपत्य दिया जावेगा।

11. आबंटित दुकान की छत पर पटटाधारी का कोई अधिकार नहीं होगा।

12. दुकान के आबंटन स्वीकृति की सूचना निविदाकर्ता को उनके लिखित पते पर डाक से भेजी जाएगी। यदि आबंटिती को समय पर डाक से सूचना प्राप्त नही होती है अथवा पत्र वापस आ जाता है तो नगर निगम को धरोहर राशि जब्त करने और आबंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

13. उच्चतम निविदा/प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति द्वारा सूचना प्राप्त होने पर कि उसकी निविदा/प्रस्थापना स्वीकृत कर ली गयी है, निविदा/प्रस्थापना की शतप्रतिशत राशि **30 दिन** के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा, परन्तु इस राशि में प्रतिभूति निक्षेप की राशि समायोजित की जायेगी। यदि विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर ऐसी राशि जमा नहीं की जाती है तब प्रतिभूमि निक्षेप की राशि जब्त तथा इस संबंध में अलग से कोई सूचना नहीं दी जाएगी, न ही कोई अभ्यावेदन स्वीकार किया जाएगा और न ही निविदादाता द्वारा किसी भी न्यायालय में इस संबंध में कोई वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा। कर ली जायेगी।

14. आबंटन प्रस्ताव जारी होने के बाद यदि निविदादाता दुकान नहीं लेना चाहेगा तो धरोहर राशि राजसात हो जाएगी।

15. निविदादाता/आबंटिती को दुकान में मादक पदार्थो, ज्वलनशील/विस्फोटक सामाग्रियों को रखने अथवा उसका व्यवसाय करने का अधिकार नहीं होगा। इसी तरह शासन द्वारा प्रतिबंधि अन्य व्यवसाय भी नहीं किया जा सकेगा।

16. आबंटिती को दुकान में स्वयं के व्यय से छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल से बिजली का कनेक्शन/मीटर लेना होगा तथा विद्युत देयकों का भुगतान स्वयं करना होगा।

17. आबंटिती को भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन, स्थानीय संस्थाओं एवं अन्य शासकीय विभागों द्वारा समय–समय पर अधिरोपित करों/फीस का भुगतान स्वयं करना होगा।

18. आबंटिती को दुकान का मासिक **किराया 5/–रू.** प्रतिवर्गफूट देय होगा। तथा प्रति **तीन वर्ष** में किराये में **15 प्रतिशत** की वृद्धि की जावेगी एवं निर्धारित समय में किराया राशि जमा न करने पर नियमानुसार सरचार्ज देय होगा। किराया कब्जा देने की तिथि में प्रभावशील होगा।

19. आबंटिती द्वारा दुकान अन्य किसी को हस्तांतरित करने के पूर्व नगर निगम से अनुमति प्राप्त करना होगा एवं तत्समय निर्धारित हस्तांतरण शुल्क की राशि जमा करना होगा/वर्तमान मासिक किराया में **25% वृद्धि** कर बढ़े किराया राशि का **12 माह** का नजराना जमा करने पर हस्तांतरण किया जा सकेगा।

20. आरक्षित वर्ग की दुकाने भविष्य में आरक्षित वर्ग को ही हस्तांतरित/स्थानांतरित की सकेगी।

21. आबंटिती को दुकान का रखरखाव एवं रंगाई–पुताई स्वतः कराना होगा।

22. आबंटिती को दुकान में कम्पन्न करने वाली मशीन लगाने, संचालन करने तथा ज्वलनशील एवं विस्फोटक एकत्रित करने की अनुमति नहीं होगी।

23. आबंटिती द्वारा निष्पादित पट्टे एवं निविदा की नियम एवं शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर नगर निगम को यह अधिकार होगा कि वह दुकान का आबंटन निरस्त कर दे तथा जमा समस्त राशि नगर निगम में राजसात कर ले। आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर को यह अधिकार होगा कि वह प्रकरण के गुणदोषों के आधार पर पुर्नविचार कर पट्टे एवं निविदा के नियम एवं शर्तो के उल्लंघन पर स्वीकृत निविदा राशि का 25 (पच्चीस) प्रतिशत अर्थदण्ड अधिरोपित कर उपशमन कर सकेंगे।

24. भागीदार फर्मों के संबंध में 50 (पचास) प्रतिशत या उससे ज्यादा भागीदारों का समावेश करने अथवा हटाने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर की अनुमति से तत्समय निर्धारित नामांतरण शुल्क नगर निगम कोष में जमा किये जाने पर अनुमति दी जा सकेगी।

25. निविदा एवं पट्टे के नियम एवं शर्तो से उद्धृत किन्हीं विवादों के संबंध में अथवा उभय पक्ष के मध्य उत्पन्न किसी विवाद के संबंध में आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर के समक्ष पंच निर्णय (आर्बिट्रेशन) हेतु सौंपा जायेगा। ऐसे विवाद का निपटारा आयुक्त अथवा उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा, जिसका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा।

26. आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा निविदा शर्तो को संशोधन या शिथिल किया जा सकेगा। आयुक्त नगर पालिक निगम का निर्णय अंतिम होगा।

27. वर्णित व्यवसायिक परिसर में आबंटितियों को परिसर के रखरखाव एवं आवश्यक मरम्मत कार्य के लिये एक समिति गठित कर स्वयं के व्यय में रखरखाव एवं मरम्मत कार्य करना होगा।

उपायुक्त (बाजार)
नगर पालिक निगम, रायपुर

आयुक्त
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)

क्र. ..../ बा.वि./न.नि./ 2017 रायपुर, दिनांक ....../01/2017

प्रति,

मुख्य डाक पाल
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– **स्पीड़ पोस्ट से टेंडर प्राप्त करने बाबत् ।**

––**00**––

नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा 30 वर्ष के लिए स्थायी पट्टे पर हाट बाजार समृद्धि का आधार योजनान्तर्गत क्रिस्टल आर्केट **के सामने पंड़री** एवं **मोहबा बाजार** नया सब्जी मार्केट में निर्मित दुकानों का आबंटन हेतु निविदा का प्रकाशन समाचार पत्रों में कराया जा कर निविदा (स्पीड़ पोस्ट) के माध्यम से मंगाया गया है। जिसकी अंतिम तिथि **25.01.2017** को कार्यालयीन समय तक निर्धारित है।

अतएवं उक्त तिथि तक जितने भी निविदा पत्र बंद लिफाफे में प्राप्त हो उसकी डिलवरी दिनांक **24.01.2017** को दोपहर **03.00** बजे तक अनिवार्यतः नगर निगम रायपुर की बाजार शाखा मुख्य कार्यालय में करवाने का कष्ट करेंगे। संबंधित पोस्ट/डाक घर प्रभारी को तद्नुसार निर्देशित करते हुए अपेक्षित सहयोग प्रदान करें। इस संबंध में यदि कोई पृथक से शुल्क देय हो तो कृपया अवगत करावें।

उपायुक्त (बाजार)
नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम, (बाजार/नजूल) रायपुर (छ.ग.)
फोन.न.:- 2535780, 90, फैक्स :- 0771-2227395
Website - www.nagarnigamraipur.nic.in

क. ..../ बा.वि./न.नि./ 2017 रायपुर, दिनांक ....../01/2017

प्रति,

जनसंपर्क अधिकारी
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– **विज्ञापन प्रकाशन कराने के संबंध में।**

––00––

कृपया संलग्न निविदा आमंत्रण दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

उपायुक्त (बाजार)
नगर पालिक निगम, रायपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम, (बाजार/नजूल) रायपुर (छ.ग.)
फोन.न.:- 2535780, 90, फैक्स :- 0771-2227395
Website - www.nagarnigamraipur.com

क. ..../ बा.वि./न.पा.नि./ 2017 रायपुर, दिनांक ....../01/2017

प्रति,

इन्टरनेट प्रभारी
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– **हाट बाजार समृद्धि का आधार योजनान्तर्गत मोहबा बाजार में निर्मित दुकानों का निविदा आमंत्रण सूचना एवं निविदा के नियम एवं शर्ते वेबसाईड में प्रकाशित किये जाने बाबत् ।**

——00——

हाट बाजार समृद्धि का आधार योजनान्तर्गत क्रिस्टल आर्केट **के सामने पंड़री एवं मोहबा बाजार** नया सब्जी मार्केट में निर्मित दुकानों को **30 वर्षीय** लीज पर दिये जाने हेतु निविदा आमंत्रण सूचना एवं निविदा का नियम एवं शर्ते नगर पालिक निगम रायपुर के बेवसाईड में प्रकाशित किये जाने हेतु लोड किये हुए पेनड्राइव सहित आपकी ओर प्रेषित है।

उपायुक्त (बाजार)
नगर पालिक निगम, रायपुर